कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 449 दिनांकः– 19.4.18

सेवा में,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
राँची वन प्रमंडल, राँची।

विषय :– **सी0सी0एल0 के नया प्रस्ताव के0डी0एच0 परियोजना हेतु 126.72 हे0 वनभूमि (84.35 हे0 अधिसूचित वनभूमि तथा 42.37 हे0 जी0 एम0 जंगल–झाड़ वनभूमि) अपयोजन का प्रस्ताव।**

प्रसंग :–

1. **भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्रांक F.No.-11-360/2016-FC dated 17.11.2016**
2. **झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, राँची का पत्रांक 4704 दिनांक 25.08.2015**
3. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का पत्रांक 36 दिनांक 10.11.2015**
4. **इस कार्यालय का स्मार पत्र संख्या 133 दिनांक 20.02.2017**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रति संलग्न) जो आपको प्रेषित है का कृपया संदर्भ लें। उक्त पत्र में भारत सरकार/राज्य सरकार के निदेशानुसार वनभूमि अपयोजन प्रस्तावों/अनुपालन/निराकरण प्रतिवेदन के साथ संलग्न कागजातों को संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा authenticate कर समर्पित किया जाना है, जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

विषयगत परियोजना में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची के पत्रांक 792 दिनांक 02.04.2018 द्वारा प्राप्त अभिलेखों में वृक्षों की गणना सूची/नक्शा एवं अन्य संबंधित अभिलेख authenticate किये बिना भेजा गया है।

अतः प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की छः प्रतियाँ वापस करते हुए अनुरोध है कि उसे authenticate कर अविलम्ब इस कार्याल में समर्पित करें, ताकि अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

18.04.18

D:\SUNIL\CCL\KDH (126.72 Ha)\ 126.72 ha

ज्ञापांक 449 दिनांक 19.4.18

प्रतिलिपि :– क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि अपयोजन प्रस्ताव एवं संलग्न अभिलेखो को पूर्ण जाँचोपरान्त भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनु0:– प्रासंगिक पत्रों की छायाप्रति संलग्न।

18.04.18

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

18-4

D:\SUNIL\CCL\KDH (126.72 Ha)\ 126.72 ha